जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/40 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | सोमवार, 1 मार्च 2021

आखिर नोटिस देने की फौरी कार्यवाही क्यों कर रहा है मानसरोवर ज़ोन? अवैध है तो सील क्यों नहीं करता?

भाग-2

नगर निगम,ग्रेटर के मानसरोवर ज़ोन में स्थित आवासीय भूखंड संख्या 69/399 मध्यम मार्ग,मानसरोवर पर बिना सक्षम स्वीकृति,बिना भवन विनियमों की पालना के बन रहे अवैध व्यवसायिक काम्प्लेक्स के निर्माण का मामला,ज़ोन द्वारा दिए गए जवाब में बताया गया कि इस भूखंड पर हो रहे अवैध निर्माण के सम्बन्ध में भवन निर्माणकर्ता को नोटिस जारी कर दिए गए है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

दिनांक 02/12/2020 को निगम के संज्ञान में लाया गया था मामला|

हमारे द्वारा भूखंड संख्या 69/399 मध्यम मार्ग मानसरोवर पर बिना नक़्शे पास करवाए,बिना सक्षम अनुमति के और बिना भवन विनियमों की पालना के बनाये गए व्यवसायिक काम्प्लेक्स का मामला मानसरोवर ज़ोन के संज्ञान में लाया गया था|

दिनांक 17/02/2021 को ज़ोन की तरफ से जवाब दिया कि अवैध निर्माण के सम्बन्ध में नोटिस दिया गया

हमारे इस परिवाद के सम्बन्ध में दिनांक 17/02/2021 को ज़ोन द्वारा जवाब दिया गया कि निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण स्वीकृति के विपरीत अवैध निर्माण करने के सम्बन्ध में निर्माण बंद करने का नोटिस दिया गया|

25	Municipal Corporation Greater Jaipur , Deputy Commissioner , (Admin I) , O/o Deputy Commissioner-Mansarowar Zone	, , ,	Remarks	17-Feb-2021	निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण स्वीकृति के विपरित निर्माण करने पर निर्माण बन्द करने बाबत नोटिस जारी कर दीया है
26	Municipal Corporation Greater Jaipur , Deputy Commissioner , (Admin I) , O/o Deputy Commissioner-Mansarowar Zone	, , ,	Partially Closed :Relief	17-Feb-2021	निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण स्वीकृति के विपरित निर्माण करने पर निर्माण बन्द करने बाबत नोटिस जारी कर दीया है
27	Citizen Contact Center , Data Entry Operator , (Administration) , Citizen Contact Center, Yojana Bhawan	, , ,	Marked Not Satisfied	19-Feb-2021	परिवादी विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही से असंतुष्ट है। प्रार्थी का कहना है की नोटिस की कॉपी उपलब्ध करवाए जाये अवैध निर्माण को सील करवाय जाये

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या वाकई ज़ोन द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है?
2. यदि वाकई अवैध निर्माण है तो निगम के अधिकारी उसे सीज क्यों नहीं कर रहे?
3. क्या ज़ोन के अधिकारी केवल मामले को ढाकने/परिवाद को बंद करने के लिए नोटिस की खानापूर्ति तो नहीं कर रहे?
4. यदि ज़ोन के कर्मचारी/अधिकारी केवल नोटिस देकर अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहे है तो क्या जिम्मेदार अधिकारीयों/कर्मचारियों के विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 194 (10) (छ) के तहत कार्यवाही की जाएगी?

केन्द्रीय सरकार की मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मिडिया आचार संहिता के तहत जारी :- ***www.jawabdosarkar.com*** *शासन के विभिन्न अभिकरणों में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित ऑनलाइन मिडिया प्लेटफार्म है| अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु पोर्टल द्वारा समय समय पर अपने अभियानों के माध्यम से विभिन्न विषयों / मुद्दों/ समस्याओं के सम्बन्ध में तथ्यपरक रिपोर्ट्स का प्रकाशन किया जाता है| पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स को उससे सम्बंधित सभी पक्षों / प्रभावितों और व्यापक जन हित में अधिकतम व्यक्तियों तक पहुचाना पोर्टल की पारदर्शिता निति का हिस्सा मात्र है| पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स का किसी व्यक्ति/ संस्था/ जाति/धर्म / संप्रदाय विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं है| पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स के सम्बन्ध में अपना पक्ष/ सुझाव/ आपत्तिमय सम्बंधित तथ्यों/ दस्तावेजों के पोर्टल के आधिकारिक पते:-S-1,* ***सेकंड फ्लोर,झारखण्ड अपार्टमेंट,जनरल सगत सिंह मोड़ खातीपुरा रोड,जयपुर*** *अथवा ईमेल :-****jawabdosarkar01@gmail.com*** *अथवा व्हाट्सअप न. 9828346151 पर प्रेषित कर सकते है| आपके पक्ष/ सुझाव/ आपत्ति को उचित होने पर इस रिपोर्ट के अगले अंक में प्रकाशित कर दिया जायेगा|*